

यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर


2/303/2013

तारीख रजु.....

सूरज वर्मा

बनाम

फूलसिंह वर्मा

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-------------------|---|--|
| <p>21.12.2023</p> | <p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकिल सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकरान को जर्ज अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 417, वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चुकिं एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर वहस के लिये कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत वहस करनी होगी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज हो तो दिनांक 12.1.2024 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजिड डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.1.2024 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p> | <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p> <p>12/1/24</p> <p>12/1/24</p> |

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अप्रार्थी पेश हुई। बाज बाज एसे, ने कां
उपस्थित कर रहा है। P.O. साहब के माध्यम से
12/1/24 को पेश हो

सुभाष चंद्रिका एच.ए.ए.
साहब के माध्यम से
पत्रावली दिनांक 29.4.24 को पेश हो।



